एसाइड मार्गनिर्देश

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17)

राज्य सेल

कमरा संख्या 524बी, उद्योग भवन, वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली

टेलीफोनः (011)-23062261 ईपीएबीएक्सः 534; ई-मेलः moc_states@nic.in

फैक्स: (011)-23063418, 23062335; वेबसाइट: www.commerce.nic.in

प्रस्तावना

1.1 अर्थव्यवस्था में उदारीकरण तथा संरचनात्मक सुधारों के कारण निर्यात को आर्थिक उन्नति का एक इंजन समझा जाता है। निर्यात में हमारे परंपरागत भागीदारों सहित भारत के निष्पादन में गिरावट के चलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य निराशाजनक बना हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में हमें ऐसी कार्यनीतियों और नीतिगत उपायों को आगे बढ़ाना होगा जोकि अनेक विभिन्न क्षेत्रों में और साथ ही नए बाजारों में निर्यात की वृद्धि को प्रेरित करते हों।

1.2 2004-09 के दौरान विदेशी व्यापार में हमारी उल्लेखनीय उपलब्धियों के चलते विदेश व्यापार नीति, 2009-14 में दो उपलब्धियों की परिकल्पना की गई हैः पहली तो यह कि मार्च, 2011 तक 200 बिलियन अमरीकी डालर के वार्षिक निर्यात लक्ष्य सहित 15 प्रतिशत की वार्षिक निर्यात वृद्धि प्राप्त करके 2014 तक भारत के माल और सेवाओं का निर्यात दुगना किया जाए और बाकी के तीन वर्षों में अर्थात 2014 तक लगभग 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष का उच्च निर्यात मार्ग प्राप्त किया जाए और दूसरे 2020 तक वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी दुगुनी की जाए।

इस संदर्भ में इसके बाद अनेक अध्ययन किए गए यथा "एसाइड योजना के अधीन निष्पादन का मध्यावधिक मूल्यांकन", "अगले तीन वर्षों (2011-12 से 2013-14) में निर्यात दुगुना करने के लिए कार्यनीतिः वाणिज्य विभाग, भारत सरकार", "2014 और 2020 तक भारत की आधारिक सुविधाओं की जरूरतेंः विदेश व्यापार लक्ष्यों के प्रकाश में", फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई) द्वारा जून, 2011 में किया गया क्षेत्र-विशिष्ट अध्ययन आदि। उपर्युक्त अध्ययनों और उनके निष्कर्षों के प्रकाश में एसाइड मार्गनिर्देशों को तदनुसार उसके अनुरूप बना दिया गया है।

1.3 यद्यपि निर्यात के प्रोत्साहन और आवश्यक विशेषज्ञतापूर्ण आधारिक सुविधाओं के सृजन की जिम्मेदारी अधिकांशतः केन्द्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा हाथ में ली गई है, राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों की भूमिका निर्यातयोग्य अधिशेष सामग्री, वैश्विक बाजार में उपलब्ध और उभरते अवसरों का लाभ उठाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राज्य सरकारें/संघशासित प्रशासन भूमि, विद्युत, जल, मार्ग संयोज्यता, प्रदूषण नियंत्रण उपायों जैसी आधारिक सुविधाएं तथा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए एक अनुकूल विनियामक वातावरण उपलब्ध करा सकते हैं। अतः ऐसा महसूस किया जाता है कि निर्यात प्रोत्साहन के लिए आधारिक तंत्र के विकास के वास्ते केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों के सहयोग से समन्वित प्रयास किए जाने जरूरी हैं। प्रस्तावित आधारिक तंत्र पहले मील (उत्पादन के बिंदु पर) तथा अंतिम मील (निकास के बिंदु पर) की क्षेत्र-विशिष्ट आधारिक जरूरतों को कवर करेगा जोकि राज्य योजना अथवा अन्य केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों में परिलक्षित नहीं होती हैं।

2. उद्देश्य

इस स्कीम का उद्देश्य निर्यात के विकास और वृद्धि के लिए उपयुक्त आधारिक तंत्र के सृजन के वास्ते राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों को सहायता प्रदान करके निर्यात प्रयासों में राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को शामिल करना है। इस तरह का सहयोजन परियोजनागत दृष्टिकोण पर आधारित होगा और औद्योगिक क्लस्टर में अधिकांशतः पहले मील और अंतिम मील प्रतिफल की रूपरेखा के भीतर राज्यों/संघशासित प्रशासनों द्वारा परियोजनाओं को उत्पादन के बिंदु पर और साथ ही निकास के बिंदु--दोनों के बीच महत्वपूर्ण संपर्क की ओर ध्यान देने के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की जानी होगी।

3. स्कीम

यह स्कीम निर्यात आधारिक तंत्र के विकास के लिए एक परिव्यय उपलब्ध कराएगी जोकि पूर्व-परिभाषित मानदंडों के अनुसार राज्यों/संघशासित प्रशासनों के बीच वितरित किया जाएगा।

पाद टिप्पणी के रूप में

निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क (ईपीआईपी), निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र (ईपीजेड), महत्वपूर्ण आधारिक संतुलन (सीआईबी) तथा पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के लिए (2000-2001 से कार्यान्वित की जा रही) निर्यात विकास निधि (ईडीएफ) योजनाओं का 2002-03 से एक नई स्कीम में विलयन कर दिया गया है। ईपीआईपी, ईपीजेड, सीआईबी तथा पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए ईडीएफ से संबंधित योजनाओं का नई स्कीम में विलयन कर दिए जाने के बाद योजनाओं के अधीन पहले से चली आ रही परियोजनाओं का वित्तपोषण नई स्कीम के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदत्त संसाधनों में से किया जा रहा है।

4. स्कीम के अनुमोदित प्रयोजन

4.1 निर्यात के लिए आधारिक तंत्र के विकास के प्रति लक्षित क्रियाकलापों का वित्तपोषण इस स्कीम से किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसे क्रियाकलापों में भारी मात्रा में निर्यात सामग्री हो तथा निर्यात के साथ उनका संपर्क पूरी तरह प्रमाणित हो।

4.2 इस स्कीम का प्रयोग एकांततः ऐसे आधारिक तंत्र के सृजन के लिए किया जाएगा जोकि न तो राज्य/संघशासित क्षेत्र की योजना में न केन्द्रीय मंत्रालयों अथवा इसके संगठन (संगठनों) की योजनाओं में परिलक्षित होता हो, तथापि निर्यात की वृद्धि के लिए इस तरह का आधारिक तंत्र महत्वपूर्ण हो।

4.2.2 परियोजनाएं अनिवार्यतः पहले मील (उत्पादन के बिंदु पर) तथा अंतिम मील (निकास के बिंदु पर) प्रतिफल के अधीन कवर की जानी चाहिए।

5. निधियों का आबंटन

5.1 स्कीम के परिव्यय के दो घटक होंगेः राज्य घटक (कुल परिव्यय का 80%) तथा केन्द्रीय घटक (कुल व्यय का 20%)।

5.2 राज्य घटकः

एसाइड के राज्य घटक अर्थात एसाइड (राज्य घटक-सामान्य) के अधीन कुल परिव्यय का 90% अनुमोदित प्रयोजनों (पैरा 4) के लिए प्रयोग में लाए जाने के वास्ते पैरा 6 में यथानिर्दिष्ट अनुमोदित मानदंडों के आधार पर राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को आबंटित किया जाएगा।

एसाइड के राज्य घटक का बाकी 10% हिस्सा अर्थात (राज्य घटक-प्रोत्साहन ओएनईआर) वाणिज्य विभाग द्वारा प्रोत्साहन मार्गनिर्देशों (अनुलग्नक IX) के अनुसार ओएनईआर राज्यों/संघशासित क्षेत्रों (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों से इतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों) के बेहतर निष्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए आबंटित किया जाएगा।

5.3 केन्द्रीय सरकारः

एसाइड के केन्द्रीय घटक अर्थात एसाइड (केन्द्रीय घटक-सामान्य) के अधीन कुल परिव्यय का 90% हिस्सा केन्द्रीय एसईजेड, मसाला बोर्ड, चाय बोर्ड, जेम तथा आभूषण निर्यात प्रोत्साहन परिषदों, हवाई अड्डों, पत्तनों आदि जैसी अन्य क्षेत्र-विशिष्ट केन्द्रीय एजेंसियों से उभरने वाली परियोजनाओं तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझे जाने वाले किसी अन्य क्रियाकलाप के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय स्तर पर आबंटित किया जाएगा।

एसाइड के केन्द्रीय घटक का बाकी 10% का हिस्सा अर्थात एसाइड (केन्द्रीय घटक-प्रोत्साहन एनईआर) वाणिज्य विभाग द्वारा प्रोत्साहन मार्गनिर्देशों (अनुलग्नक-IX) के अनुसार सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के बेहतर निष्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए आबंटित किया जाएगा।

6. राज्य-वार आबंटन के लिए मानदंड

6.1 एसाइड (राज्य घटक-सामान्य)

एसाइड (राज्य घटक-सामान्य) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 50-50% के दो हिस्सों में आबंटित किया जाएगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच एसाइड (राज्य घटक-सामान्य) निधियों के आबंटन का मानदंड निम्नानुसार होगाः

मानदंड	भारिता
माल के कुल निर्यात में राज्य/संघशासित क्षेत्र का प्रतिशत निर्यात हिस्सा	**75%**
राज्य/संघशासित क्षेत्र की जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	**25%**
योग	**100%**

निम्न के अध्यधीनः

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटन राज्य/संघशासित क्षेत्र के आकार को ध्यान में रख सकता है।

ii. प्रत्येक राज्य/संघशासित क्षेत्र के लिए एक निश्चित न्यूनतम आबंटन अवश्य किया जाना चाहिए जोकि पूर्ववर्ती वर्ष के आबंटन से कम नहीं होना चाहिए।

iii. किसी राज्य/संघशासित क्षेत्र को आबंटित की जाने वाली अधिकतम निधियों की एक ऊपरी सीमा होनी चाहिए--योजना के अधीन उपलब्ध कुल निधियों के 10 प्रतिशत की ऊपरी सीमा लागू की जा सकती है।

iv. किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए चालू वर्ष के वास्ते आबंटन में आकस्मिक वृद्धि (जोकि विलयन मुद्दे पैदा कर देगी) रोकने के लिए चालू वर्ष के लिए आबंटन पिछले वर्ष के आबंटन से 200% से अधिक नहीं होना चाहिए।

v. आबंटन केवल माल के निर्यात के डाटा पर आधारित होगा तथा सेवाओं के निर्यात को हिसाब में नहीं जोड़ा जाएगा।

6.2 योजना परिव्यय का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा एनईआर और सिक्किम में खर्च के लिए आरक्षित रखा जाएगा। एनईआर तथा सिक्किम के लिए निर्यात विकास निधि (ईडीएफ) अर्थात ईडीएफ-एनईआर का वित्तपोषण आबंटित परिव्यय में से किया जाएगा और बाकी की राशि उपर्युक्त पैरा 6.1 में निर्धारित मानदंड के आधार पर सिक्किम सहित एनईआर राज्यों के बीच बांट दी जाएगी।

6.3 राज्यों/संघशासित क्षेत्र से निर्यात निष्पादन और निर्यात में वृद्धि का मूल्यांकन महानिदेशक वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी (डीजीसीआईएस) के कार्यालय से उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया जाएगा। डीजीसीआईएस का कार्यालय निर्यातकर्ता द्वारा प्रस्तुत पोत परिवहन बिलों से निर्यात का राज्य-वार डाटा संकलित करेगा। पोत परिवहन बिल फार्म में एक ऐसा कालम होता है जिसमें निर्यातकर्ता उस राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम दर्ज करेगा जहां से निर्यात वस्तुओं का उद्गम हुआ है। एफटी (डी तथा आर) अधिनियम के अधीन 15.6.2001 से यह कालम भरना जरूरी कर दिया गया है। प्रत्येक राज्य/संघशासित क्षेत्र की सरकार पोत परिवहन बिलों में सही प्रविष्टियां करने के मामले में निर्यातकर्ताओं का मार्गदर्शन करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए नियतकालिक आधार पर उनके साथ वैचारिक आदान-प्रदान करेगी जिससे कि निर्यातित माल के उद्गम के राज्य की प्रविष्टि सही तरीके से की जाए। राज्य निर्यातकर्ताओं के बीच इस आशय की जानकारी का प्रसार करने के लिए व्यापार और उद्योग संघों के सहयोग से क्षेत्र स्तर पर उपयुक्त तंत्र स्थापित कर सकते हैं।

7. निधियां प्रदान करना

7.1 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को निधियां निर्धारित मानदंडों के आधार पर तैयार की गई हकदारियों की सीमा के अध्यधीन होगी। राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन द्वारा नामित नोडल एजेंसी से पूर्व-रसीदी बिल प्राप्त होने पर, निधियां सीधे उसे संवितरित कर दी जाएंगी। बिल का प्रपत्र अनुलग्नक-III पर प्रस्तुत है। ऐसी निधियां एजेंसियों के लेखाओं में एक अलग शीर्ष में रखी जाएंगी। चालू वर्ष के लिए निधियां प्रदान करते हुए पिछले वर्ष/वर्षों में प्रदान की गई निधियों में से, उस तारीख को राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में अप्रयुक्त निधियां, यदि कोई होंगी तो, ध्यान में रखी जाएंगी लेकिन उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) की प्रस्तुति इस संबंध में जीएफआर प्रावधानों में यथानिर्धारित अवधि के बीत जाने के बाद ही बाध्यकारी होगी।

7.2 आबंटन का 50 प्रतिशत हिस्सा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में प्रदान किया जाएगा। बाकी की रकम निधियों के प्रयोग तथा राज्य/संघशासित क्षेत्र द्वारा इस योजना के मार्गनिर्देशों के अनुपालन के आधार पर प्रदान की जाएगी। राज्यों को वर्ष के शुरू में पूरी रकम का प्रयोग करने के लिए परियोजनाएं हाथ में लेने की सलाह दी जाएगी। साथ ही उन्हें ऐसी परियोजनाएं पहले से अभिज्ञात करने की सलाह भी दी जाएगी।

8. परियोजनाओं का अनुमोदन और कार्यान्वयन

8.1 एसाइड (राज्य घटक-सामान्य) के अधीन परियोजनाओं की मंजूरी

राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति (एसएलईपीसी) होगी और उस समिति में राज्य स्तर पर संबंधित विभागों के सचिव तथा वाणिज्य विभाग (डीओसी) के राज्य सेल का एक प्रतिनिधि तथा उस राज्य/क्षेत्र में तैनात विदेश व्यापार के संयुक्त महानिदेशक और अनुलग्नक-IV के अनुसार राज्य में एसईजेड/ईपीजेड के विकास आयुक्त इस समिति के सदस्य होंगे। एसएलईपीसी योजना की छानबीन करेगी, प्राथमिकता निर्धारित करेगी और विशिष्ट परियोजनाएं मंजूर करेगी तथा स्कीम के कार्यान्वयन पर समग्र दृष्टि रखेगी।

8.1.1 निर्यातों/आयातों की जरूरतों के केन्द्रित अध्ययनों पर आधारित 500-600 परियोजनाओं की एक 'टोकरी' स्कीम की मूल सीमा का निर्माण करेगी। राज्य-वार परियोजना सूची मुख्यतः पैरा 1.2 में उल्लिखित अध्ययनों का परिणाम है। यह सूची परियोजनाओं की कोटि और आकार के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम करेगी। परियोजना का आकार ऐसा होना चाहिए कि सुनिश्चित आधारिक परियोजनाएं हाथ में ली जा सकें। इस प्रयोजन के लिए एसाइड का योगदान विशाल/मझोले राज्यों के मामले में कम से कम 10 करोड़ रुपए और छोटे/सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 5 करोड़ रुपए होगा। यदि राज्य परियोजनाओं की टोकरी की सूची से बाहर की परियोजनाएं हाथ में लेना चाहता है तो निर्यात के लिए परियोजना की प्रासंगिकता पता लगाने के वास्ते वाणिज्य विभाग की अनिवार्य सहमति ली जानी होगी। ऐसे मामले में जहां एसाइड का योगदान 50 प्रतिशत तक सीमित होगा, राज्य को परियोजना का सह-वित्तपोषण करना पड़ सकता है।

प्रत्येक राज्य/संघशासित क्षेत्र एसाइड (राज्य घटक-सामान्य) के अधीन अपने समग्र परिव्यय का 10 प्रतिशत हिस्सा संबंधित राज्य/संघशासित क्षेत्र द्वारा महत्वपूर्ण निर्यात आधारिक जरूरत के रूप में अभिज्ञात लघु/छोटी परियोजनाओं के लिए आबंटित कर सकता है। इस तरह की लघु/छोटी परियोजनाओं (विशाल/मझोले राज्यों के मामले में 10 करोड़ रुपए की ऊपरी सीमा तथा छोटे/सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की ऊपरी सीमा से कम) वाणिज्य विभाग की अनुमति अनिवार्य नहीं होगी और एसएलईपीसी प्रतिभूतियों के लिए सक्षम होगी और वह ऐसी लघु अथवा छोटी परियोजनाएं मंजूर करेगी।

8.1.2 प्रत्येक राज्य/संघशासित क्षेत्र अपने एक अधिकारी को निर्यात आयुक्त के रूप में नियुक्त/पदनामित करेगा जोकि एसएलईपीसी का संयोजक होगा और जिसके साथ वाणिज्य विभाग एसाइड से संबंधित मुद्दों के बारे में वैचारिक आदान-प्रदान करेगा। वह व्यापार और उद्योग, निर्यात प्रोत्साहन परिषदों (ईपीसी) तथा वाणिज्य

विभाग के साथ परामर्श से राज्य/संघशासित क्षेत्र के लिए उपलब्ध टोकरी के आधार पर पंचवर्षीय तथा वार्षिक निर्यात परियोजनाएं तैयार करेगा। साथ ही वह राज्य/संघशासित क्षेत्र के लिए उपलब्ध टोकरी के आधार पर अथवा उपर्युक्त पैरा 8.1.1 का पालन करते हुए उससे बाहर एसएलईपीसी के अनुमोदन के लिए ऐसी 5-10 परियोजनाओं का शेल्फ तैयार करेगा जिन्हें इस योजना के अधीन हाथ में लिए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही वह राज्य/संघशासित क्षेत्र के निर्यातकर्ताओं के साथ एकल बिंदु इंटरफेस के रूप में भी काम करेगा।

8.1.3 एसएलईपीसी यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रस्ताव स्थान-विशिष्ट हैं तथा स्थान का चयन और परियोजनाओं का पारस्परिक प्राथमिकता निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना तथा एक वर्ष के लिए तैयार की गई परियोजनाओं के शेल्फ को मंजूरी प्रदान करेगी। इस प्रयोजन के लिए एसएलईपीसी ऐसी परियोजनाओं की एक सूची तैयार करेगी जिनकी तरफ अगले दो-तीन वर्षों में निर्यात आधारिक-तंत्र विकसित करने के लिए केन्द्रित ध्यान दिया जाना है। इस तरह की परियोजनाओं की ऐसी सूची निर्यात प्रोत्साहन परिषदों (ईपीसी) तथा अन्य निर्यात प्रोत्साहन निकायों के परामर्श से तैयार की जा सकती है। एसएलईपीसी द्वारा परियोजनाओं की मंजूरी के बाद नोडल एजेंसी द्वारा परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी को निधियां संवितरित कर दी जाएंगी। राज्य सरकारों को परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी को नोडल एजेंसी द्वारा परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी को निधियों के संवितरण के लिए एक तंत्र स्थापित करने की सलाह दी गई है।

8.1.4 जहां तक संभव हो राज्यों को वाणिज्य विभाग द्वारा राज्य सरकार की अन्य स्कीमों और परियोजनाओं के लिए प्रदत्त निधियों का लाभ उठाने को प्रोत्साहित किया जाता है। अनुलग्नक-V में दिए गए मागनिर्देशों के अनुसार आधारतंत्रीय परियोजनाओं में निजी क्षेत्र को सहयोजित किया जा सकता है।

8.1.5 नई परियोजनाएं मंजूर करने से पहले एसएलईपीसी पहले से चली आ रही परियोजनाओं पर होने वाले संभावित खर्च के लिए निधियां आबंटित करेंगी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में राज्य/संघशासित क्षेत्र के लिए उपलब्ध समग्र परिव्यय का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा 11वीं पंचवर्षीय योजना से पहले चली आ रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की इस तरह की पहले से चली आ रही परियोजनाओं के लिए, इसके बाद एसाइड निधि से 12वीं योजना के दूसरे वर्ष के बाद आगे कोई सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। एसएलईपीसी यह सुनिश्चित करेगी कि अपवादात्मक मामलों को छोड़कर किसी भी नई परियोजना की परिपक्वता अवधि दो वर्ष से अधिक न हो।

8.2 एसाइड (राज्य घटक-प्रोत्साहन ओएनईआर) के अधीन परियोजनाओं की मंजूरी

वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली (डीओसी) प्रोत्साहन मार्गनिर्देशों (अनुलग्नक-IX) के अनुसार पात्र राज्यों/संघशासित क्षेत्रों का निर्धारण करेगा। प्रोत्साहन के लिए राज्य/यूटी के चयन के संबंध में वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली (डीओसी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता के अधीन राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति (एसएलईपीसी) राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के बेहतर निष्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रस्ताव अग्रेषित करेगी। वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली (डीओसी) परियोजना (परियोजनाओं) की छानबीन करेगा और उन्हें मंजूरी प्रदान करेगा।

8.3 एसाइड (केन्द्रीय घटक-सामान्य ओएनईआर) के अधीन परियोजनाओं की मंजूरी

एसाइड (केन्द्रीय घटक-सामान्य) के अधीन परिव्यय के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में वाणिज्य विभाग में एक अधिकारप्राप्त समिति (ईसी) होगी और इस समिति में पैरा 9 में यथानिर्धारित क्रियाविधि के अनुसार प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने और उन्हें मंजूरी प्रदान करने के लिए योजना आयोग तथा संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यदि किसी परियोजना का विदेशी क्षेत्र के साथ कोई संबंध है तो विदेश कार्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि अधिकारप्राप्त समिति की बैठक में आमंत्रित किया जाएगा।

8.4 एसाइड (केन्द्रीय घटक-प्रोत्साहन सिक्किम सहित एनईआर) के अधीन परियोजनाओं की मंजूरी

वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली (डीओसी) प्रोत्साहन मार्गनिर्देशों (अनुलग्नक-IX) के अनुसार पात्र राज्यों/संघशासित क्षेत्रों का निर्धारण करेगा। प्रोत्साहन के लिए राज्य/यूटी के चयन के संबंध में वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली (डीओसी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता के अधीन राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति (एसएलईपीसी) राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के बेहतर निष्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रस्ताव अग्रेषित करेगी। वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली (डीओसी) परियोजना (परियोजनाओं) की छानबीन करेगा और उन्हें मंजूरी प्रदान करेगा।

8.5 वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली (डीओसी) प्रोत्साहन मार्गनिर्देशों (अनुलग्नक-IX) के अनुसार पात्र राज्यों/संघशासित क्षेत्रों का निर्धारण करेगा। प्रोत्साहन के लिए राज्य/यूटी के चयन के संबंध में वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली (डीओसी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता के अधीन राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति (एसएलईपीसी) राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के बेहतर निष्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रस्ताव अग्रेषित करेगी। वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली (डीओसी) परियोजना (परियोजनाओं) की छानबीन करेगा और उन्हें मंजूरी प्रदान करेगा।

8.6 केन्द्रीय घटक को भारत सरकार के वित्तीय नियमों के अधीन अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार मंजूरी प्रदान की जाएगी। एसाइड (राज्य घटक-सामान्य) को राज्य सरकार की कार्य-संचालन नियमावली के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की जाएगी।

8.7 इस स्कीम के अधीन किए गए भुगतान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा और साथ ही भारत सरकार द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य साधनों के अध्यधीन होंगे। भारत सरकार योजना के अधीन स्वीकृत परियोजना के संबंध में भौतिक सत्यापन तथा समुचित समझी जाने वाली अन्य जांच कराएगी।

8.8 प्रत्येक परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी यह देखेगी कि जहां कहीं व्यवहार्य होगा आधारिक-तंत्र का इस्तेमाल करने वाले उसके निमित्त सेवा प्रभार का भुगतान करेंगे जिससे कि इस प्रकार तैयार किए गए आधारिक-तंत्र के प्रचालन और रखरखाव संबंधी खर्च की पूर्ति हो सके।

9. परियोजनाओं की मंजूरी के लिए मानदंड

9.1 एसाइड के अधीन सहायता के लिए परियोजनाओं पर विचार किए जाने के वास्ते सभी प्रकार के ऋणभार से मुक्त भूमि एक पूर्वापेक्षा है।

9.2 यह जरूरी है कि प्रस्तावों का निर्यात के साथ सीधा संबंध हो। प्रस्तावित निवेश उसी क्षेत्र में किसी मौजूदा संगठन के प्रयासों के दोहराव के रूप में नहीं होना चाहिए। यदि सहायता गैर-सरकारी एजेंसी को प्रदान की जा रही है तो परियोजना का वित्तपोषण आमतौर पर लागत की हिस्सेदारी के आधार पर होना चाहिए। तथापि, एसएलईपीसी/अधिकारप्राप्त समिति (ईसी) परियोजना के पूर्ण वित्तपोषण पर गुणदोष के आधार पर विचार कर सकती है।

10. पात्र एजेंसियां

10.1 स्कीम के अधीन स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियां निम्न को मंजूर की जा सकती हैं:

i. केन्द्रीय/राज्य सरकारों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

ii. केन्द्रीय/राज्य सरकारों की अन्य एजेंसियां

iii. निर्यात प्रोत्साहन परिषदें/पण्य बोर्ड

iv. भारत सरकार की निर्यात-आयात नीति के अधीन मान्यताप्राप्त शीर्षस्थ व्यापारिक निकाय तथा पैरा 8 के अधीन स्थापित अधिकारप्राप्त समिति द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त अन्य शीर्षस्थ निकाय

v. निर्यात के प्रति समर्पित स्वतंत्र उत्पादन/सेवा यूनिट

11. प्रशासनिक व्यय

11.1 इस स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी प्रशासनिक व्यय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपने बजट में से वहन किए जाएंगे तथा इस तरह के खर्च की पूर्ति के लिए स्कीम निधियों के किसी अंश का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

12. परियोजना प्रस्तावों की प्रस्तुति/छानबीन

12.1 परियोजना प्रस्ताव व्यापक तथा परिशुद्ध होना चाहिए। परियोजना से संबंधित सभी पक्ष डाटा, सर्वेक्षण तथा भविष्य के लिए अनुमान आदि द्वारा समर्थित होने चाहिए।

12.2 परियोजना प्रस्ताव के साथ एक कार्यकारी सार, जिसमें निम्न तथ्य शामिल हों प्रस्तुत किया जाना जरूरी हैः

i. प्रस्तावक संगठन का नाम और पूरा पता

ii. कार्यान्वयन संगठन का नाम और पूरा पता

iii. कार्यान्वयन एजेंसी का स्तर (क्या वह सरकारी एजेंसी है अथवा व्यापारिक निकाय है अथवा स्वतंत्र निर्यातक आदि है)

iv. परियोजना की पूरी लागत

v. वित्तपोषण पद्धति

vi. क्या स्रोत/स्रोतों से वित्तपोषण संबंधी करार कर लिया गया है

vii. क्या परियोजना के लिए, यदि जरूरी हो तो, भूमि उपलब्ध है

viii. परियोजना के चरण तथा पूर्ति की तारीख

ix. कार्य का क्षेत्र (अपेक्षित सुविधाओं की कोटि)

x. परियोजना से प्रोद्भूत होने वाले मुख्य लाभ

12.3 एसाइड स्कीम के अधीन सहायता के लिए विचार किए जाने के वास्ते अनुमानित समग्र परियोजना कार्य लागत की सक्षम प्राधिकारी अर्थात राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासन अथवा नगरपालिकाओं आदि जैसे स्थानीय निकायों अथवा अन्य सांविधिक निकायों आदि द्वारा दिल्ली दर-अनुसूची (डीएसआर) के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के सक्षम प्राधिकारी के उस समय संबंधित राज्य/संघशासित क्षेत्र में मौजूदा दर-अनुसूचियों (एसओआर) के आधार पर विधीक्षा की जानी चाहिए। समग्र अनुमानित परियोजना कार्य लागत में ईटीपी (स्थापना, औजार तथा संयंत्र) प्रभार, मूल्यवृद्धि, आपातिक स्थितियां, वास्तविक व्यय के अध्यधीन परियोजना कार्य लागत के "निवल मूल्य" पर डीएसआर समायोजन आदि सहित अन्य प्रभारों का अधिक से अधिक 15 प्रतिशत हिस्सा कवर किया जाना चाहिए।

12.4 तकनीकी/वित्तीय विधीक्षा के बाद प्रस्ताव की राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन के प्रधान सचिव/उद्योग सचिव द्वारा एसएलईपीसी को सिफारिश की जानी चाहिए। जहां तक केन्द्रीय घटक के अधीन परियोजनाओं का संबंध है संगठन के अध्यक्ष को स्पष्ट शब्दों में वाणिज्य विभाग (डीओसी), नई दिल्ली को परियोजना की अनुशंसा करनी होगी।

12.5 एसाइड के अधीन शामिल सहायता केवल पूंजीगत आधारिक-तंत्र के लिए है।

12.6 ऊपर निर्दिष्ट प्राचलों में से प्रत्येक से संबंधित विवरण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल किए जाने चाहिए। इस रिपोर्ट में उन्नति तथा निर्यात के लिए अन्य बातों के साथ-साथ विस्तृत लागत लाभ विश्लेषण,

परियोजना के प्रत्येक घटक के लागत के ब्यौरे, गुणवत्तात्मक तथा मात्रात्मक--दोनों अर्थों में परियोजनाओं से प्रोद्भूत होने वाले लाभ भी शामिल होने चाहिए।

13. मानीटरन और समीक्षा

13.1 प्रत्येक राज्य/संघशासित क्षेत्र/एजेंसी/केन्द्रीय एजेंसी अनुलग्नक-VI में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में वाणिज्य विभाग की वेबसाइट के माध्यम से एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस रिपोर्ट का प्रयोग प्रदान की गई निधियों के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करने और साथ ही मंत्रालय द्वारा और आगे निधियां प्रदान किए जाने के आधार के रूप में किया जाएगा। निधियों का वार्षिक उपयोग डिजिटल हस्ताक्षरों का प्रयोग करते हुए वेबसाइट के माध्यम से फार्म जीएफआर 19-ए (अनुलग्नक-VII) में प्रस्तुत किया जाएगा।

13.2 अधिकारप्राप्त समिति स्कीम की प्रगति की नियतकालिक समीक्षा करेगी तथा स्कीम के लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी।

13.3 परियोजना की समीक्षा/निरीक्षण के लिए और यह देखने के लिए कि निधियां स्कीम के अधीन वित्तीय वर्ष के भीतर खर्च कर ली गई हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा एक नोडल अधिकारी/एजेंसी की नियुक्ति की जाएगी।

14. मूल्यांकन

14.1 वर्ष के अंत में एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा पहले से चली आ रही सभी परियोजनाओं का एक वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा।

14.2 तीन वर्षों की समाप्ति के बाद स्कीम का मध्यावधिक मूल्यांकन किया जा सकता है। आशा है कि इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघशासित क्षेत्र निर्यात के लिए बेहतर आधारिक-तंत्र के संचयी प्रभाव और साथ ही रोजगार तथा समग्र समृद्धि पर उनकी अर्थव्यवस्था में संवर्द्धित निर्यात के प्रभाव से लाभान्वित होंगे। इस तरह का मूल्यांकन स्कीम में मध्यावधिक संशोधन करने के लिए भी, यदि कोई हों तो एक आधार होगा।

अनुलग्नक-I

साझा बहिःस्राव उपचार सुविधाओं के लिए मार्गनिर्देश

i. केन्द्रीय बहिःस्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी) के निर्माण की लागत का 50 प्रतिशत तक का हिस्सा इस स्कीम के *राज्य तथा केन्द्रीय घटक के अधीन सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा और बाकी का 50 प्रतिशत हिस्सा संबंधित राज्य सरकार/संगठन अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान किया जाएगा।*

ii. सीईटीपी द्वारा उत्सर्जित बहिःस्राव संबंधित *राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)* द्वारा यथानिर्धारित राज्य प्रदूषण बोर्ड मानदंडों के अनुसार होना चाहिए और उसके लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति होनी चाहिए।

iii. सीईटीपी के निर्माण के लिए तकनीकी प्राचल राज्य सरकार तथा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार होने चाहिए।

अनुलग्नक-II

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्यात विकास निधि (ईडीएफ-एनईआर) के वास्ते मार्गनिर्देश

1. निधि

1.1 ईडीएफ के लिए अंशदान वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किसी भी अन्य बजटीय अथवा सरकार द्वारा यथाअभिज्ञात गैर-बजटीय स्रोत में से प्रदान किया जा सकता है।

1.2 इस अंशदान की व्यवस्था वाणिज्य विभाग के अनुदेशों के अधीन कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा की जाएगी।

2. उद्देश्य

2.1 इस निधि का उद्देश्य देश के सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) से निर्यात के प्रोत्साहन के लिए विशिष्ट क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करना है। ऐसे सभी क्रियाकलाप जिनका इस क्षेत्र से निर्यात के साथ कोई संबंध है और जो निर्यात की सहायता के लिए तैयार किए गए हैं, निधि से सहायता के लिए पात्र होंगे।

3. कार्यक्षेत्र

3.1 निम्न क्रियाकलाप निधि से सहायता के लिए पात्र होंगेः

(i) निर्यातों के प्रति लक्षित शीर्षस्थ/मार्गदर्शी परियोजनाएं स्थापित करना

(ii) निर्यातों के प्रति लक्षित शीर्षस्थ/मार्गदर्शी परियोजनाओं के लिए उपकरणों और मशीनरी का प्रावधान

(iii) निर्यातों को सुविधापूर्ण बनाने के लिए साझा सुविधाओं का सृजन

(iv) निर्यात उत्पादों के परीक्षण और मानकीकरण और साथ ही गुणवत्तात्मक सुधार के लिए सुविधा

(v) व्यापारिक दायित्वों के आदान-प्रदान संबंधी वित्तपोषण

(vi) वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित कोई ऐसा अन्य क्रियाकलाप जिसका पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्यात प्रोत्साहन के साथ कोई संबंध है जिसमें ये शामिल हैंः परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र से निर्यात के प्रोत्साहन के प्रति लक्षित संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम/प्रतिपादन।

4. पात्र एजेंसियां

4.1 स्कीम के अधीन निधियां निम्न को प्रदान की जा सकती हैंः

(i) केन्द्रीय/राज्य सरकारें

(ii) केन्द्रीय/राज्य सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

(iii) केन्द्रीय/राज्य सरकारों की अन्य एजेंसियां

(iv) निर्यात प्रोत्साहन परिषदें/पण्य बोर्ड

(v) भारत सरकार की निर्यात-आयात नीति के अधीन मान्यताप्राप्त शीर्षस्थ व्यापारिक निकाय तथा पैरा 6 के अधीन स्थापित अधिकारप्राप्त समिति द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त अन्य शीर्षस्थ निकाय

(vi) निर्यात के प्रति समर्पित स्वतंत्र उत्पादन/सेवा यूनिट

5. मंजूरी के लिए मानदंड

5.1 ईडीएफ स्कीम का उद्देश्य मूल्यवर्द्धित प्रसंस्करण उद्योग को बाजार संपर्क के साथ प्रोत्साहित करना है तथा इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन के प्रोत्साहन तक सीमित नहीं है। यह जरूरी है कि प्रस्ताव इस क्षेत्र के निर्यात के साथ सीधा संबंध परिलक्षित करता हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र से निर्यात की सहायता के लिए वांछनीय हो।

6. छानबीन, मंजूरी और मानीटरन

6.1 एक अधिकारप्राप्त समिति [ईसी(ईडीएफ-एनईआर)] होगी जोकि प्रस्तावों पर विचार करेगी और उन्हें मंजूरी प्रदान करेगी। यह समिति स्वीकृत प्रस्तावों के कार्यान्वयन का मानीटरन भी करेगी। मानीटरन तंत्र का पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य एजेंसियों जैसेकि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (एनईआरएएमएसी), पूर्वोत्तर औद्योगिक तथा तकनीकी परामर्शी संगठन (एनईआईटीसीओ), पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) आदि जैसी अन्य एजेंसियों को सहयोजित करके सुदृढ़ीकरण किया गया है। ईसी, ईडीएफ-एनईआर मंजूरी के समय ही प्रत्येक परियोजना के लिए मानीटरन एजेंसी विनिर्दिष्ट करेगी। मानीटरन एजेंसी निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-ए) में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

6.2 निर्यात आयुक्त (ईएक्ससी) परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति की जांच करेगा और स्थानीय अधिकारियों आदि से जानकारी प्राप्त करके उनकी स्थिति के बारे में नियतकालिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। निर्यात आयुक्त परियोजनाओं के वास्तविक निरीक्षण के आधार पर प्रत्येक परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति प्रमाणित करेगा।

6.3 ईडीएफ "प्रगति के आधार पर निधि प्रदान करना" तंत्र वित्तपोषण परियोजना कार्यान्वयन में हुई प्रगति के साथ जोड़ा जाएगा।

6.4 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्यात विकास निधि की अधिकारप्राप्त समिति [ईसी(ईडीएफ-एनईआर)] की अध्यक्षता वाणिज्य विभाग में अपर सचिव (राज्य सेल) करेंगे और उसमें निम्न व्यक्ति सदस्यों के रूप में शामिल होंगेः

(i) वाणिज्य विभाग के अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार अथवा उनके प्रतिनिधि

(ii) सलाहकार (पीए) तथा एमडी, योजना आयोग अथवा उसके प्रतिनिधि

(iii) संयुक्त सचिव (पूर्वोत्तर), गृह मंत्रालय, भारत सरकार

(iv) संयुक्त सचिव, राज्य सेल, वाणिज्य विभाग

(v) संयुक्त सचिव, पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय (डीओएनईआर)

(vi) पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के प्रतिनिधि

(vii) निदेशक/उप-सचिव, राज्य सेल, वाणिज्य विभाग समिति के सदस्य सचिव होंगे

एपीडा के अध्यक्ष ईसी, ईडीएफ-एनईआर की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित होंगे।

ईडीएफ-एनईआर की अधिकारप्राप्त समिति की बैठक नई दिल्ली में अथवा यथाव्यवहार्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी राज्य की राजधानी में हर तिमाही में आयोजित की जाएगी।

6.5 प्रस्तावों को प्रस्तुत/प्रायोजित करने वाले संगठनों के प्रतिनिधि को अधिकारप्राप्त समिति की बैठक में आमंत्रित किया जाएगा।

6.6 अनुमोदित परियोजनाओं/कार्यों के लिए निधियों की मंजूरी मानक क्रियाविधि के रूप में वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में स्थायी वित्त समिति से प्राप्त की जाएगी।

6.7 वाणिज्य विभाग का इंफ्रा-II अनुभाग/पूर्वोत्तर सेल समिति से संबंधित कार्य का समन्वय करेगा और स्वीकृत निधियां प्रदान किए जाने के लिए एपीडा के साथ संपर्क बनाएगा।

6.8 इस स्कीम के अधीन किए गए भुगतान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा और साथ ही भारत सरकार द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य साधनों के अध्यधीन होंगे। भारत सरकार योजना के अधीन स्वीकृत परियोजना के संबंध में भौतिक सत्यापन तथा समुचित समझी जाने वाली अन्य जांच कराएगी।

7. परियोजनाओं/प्रस्तावों की प्रस्तुति

7.1 प्रार्थी द्वारा परियोजना प्रस्ताव की चार प्रतियां सरलीकृत स्क्रीनिंग प्रपत्र (अनुलग्नक-बी) में संबंधित राज्य के निर्यात आयुक्त (ईएक्ससी) को प्रस्तुत की जाएंगी। यह जरूरी है कि सभी प्रस्ताव संबंधित राज्यों के निर्यात आयुक्तों के माध्यम से भेजे जाएं और ईडीएफ वित्तपोषण की जरूरत और प्रासंगिकता का स्पष्टतः उल्लेख करते हुए एपीडा को उनकी सिफारिशों के बाद ही, एपीडा द्वारा आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

7.2 प्रस्ताव व्यापक होगा। परियोजनाओं से संबंधित सभी पक्ष डाटा, सर्वेक्षणों आदि द्वारा समर्थित होने चाहिए।

7.3 परियोजना प्रस्ताव के साथ एक कार्यकारी सार, जिसमें निम्न तथ्य शामिल हों प्रस्तुत किया जाना जरूरी है

i. प्रस्तावक संगठन का नाम और पूरा पता
ii. कार्यान्वयन संगठन का नाम और पूरा पता
iii. कार्यान्वयन एजेंसी का स्तर (क्या वह सरकारी एजेंसी है अथवा व्यापारिक निकाय है अथवा स्वतंत्र निर्यातक आदि है)
iv. परियोजना की पूरी लागत
v. वित्तपोषण पद्धति
vi. क्या स्रोत/स्रोतों से वित्तपोषण संबंधी करार कर लिया गया है
vii. क्या परियोजना के लिए, यदि जरूरी हो तो, भूमि उपलब्ध है
viii. परियोजना के चरण तथा पूर्ति की तारीख
ix. कार्य का क्षेत्र (अपेक्षित सुविधाओं की कोटि)
x. परियोजना से प्रोद्भूत होने वाले मुख्य लाभ

7.4 इस स्कीम के अधीन अनुदान के लिए प्रस्तुत परियोजनाओं को निम्न स्थूल प्राचलों की पूर्ति अवश्य करनी चाहिएः

(i) राज्य सरकार द्वारा हाथ में ली जाने वाली परियोजना दीर्घकालीन, संधारणीय और आश्वस्त लाभों से युक्त होनी चाहिए।
(ii) परियोजना में यथासंभव सीमा तक स्थानीय उद्यमकर्ताओं और एजेंसियों का सहयोजन होना चाहिए।
(iii) परियोजना रिपोर्ट एक वित्तीय अथवा तकनीकी परामर्शदाता द्वारा तैयार की जानी चाहिए और उसमें निम्न शामिल होना चाहिएः
    (क) परियोजना का आईआरआर प्रदान करते हुए परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता
    (ख) नकदी प्रवाह की गणना
    (ग) लागत प्रभाव
    (घ) कार्यकारी पूंजी की जरूरत
    (ड.) प्रौद्योगिकी प्रमाणन अर्थात क्या कंपनी द्वारा प्रस्तावित प्रौद्योगिकी अद्यतन है

(च) संभावित निर्यात बाजार तथा संभावित मूल्य वसूली जिससे कि मूल्य और गुणवत्ता के अर्थों में प्रतियोगात्मकता सुनिश्चित की जा सके।

(छ) कच्चे माल की आश्वस्त उपलब्धता और लागत

(ज) परियोजना के लिए कम से कम निःशुल्क भूमि के माध्यम से राज्य सहायता की सीमा

(iv) परियोजनाएं बाजार-चालित होनी चाहिए और उनमें ऐसे विदेशी बाजारों में प्रस्तावित भारतीय उत्पादों की विपणन संभाव्यता और प्रतियोगात्मकता के पूरे ब्यौरे शामिल होने चाहिए। निकटवर्ती देशों के बाजारों पर बल दिया जाना चाहिए।

(v) परियोजनाओं का लक्ष्य मौजूदा उद्यमकर्ताओं, उत्पादकों और व्यापारियों के क्षमता निर्माण पर होना चाहिए जिससे कि वे निर्यात बाजार तक पहुंच सकें।

(vi) जहां तक संभव हो क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

(vii) यदि निजी क्षेत्र को सहायता प्रदान की जानी हो तो वह पूर्व-समर्थित होनी चाहिए।

(viii) भारत सरकार के संबंधित विभाग को शामिल किया जाना चाहिए और पहले से चली आ रही इस तरह की सभी योजनाएं/परियोजनाएं समेकित की जानी चाहिए।

7.5 ऊपर वर्णित प्राचलों में से प्रत्येक प्राचल के ब्यौरे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में दिए जाने चाहिए। इस रिपोर्ट में उन्नति तथा निर्यात के लिए अन्य बातों के साथ-साथ विस्तृत लागत लाभ विश्लेषण, परियोजना के प्रत्येक घटक के लागत के ब्यौरे, गुणवत्तात्मक तथा मात्रात्मक--दोनों अर्थों में परियोजनाओं से प्रोद्भूत होने वाले लाभ, प्रस्तावक के मौजूदा क्रियाकलाप भी शामिल होने चाहिए।

7.6 स्कीम के अधीन केवल ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा जो सभी दृष्टियों से पूर्ण हो।

7.7 ईडीएफ प्रस्तावों से संबंधित सभी पत्राचार निर्यात आयुक्त (ईएक्ससी) के हस्ताक्षरों से उभरना चाहिए और उनकी सिफारिशों के साथ अग्रेषित किए जाने चाहिए (संदर्भ वाणिज्य विभाग के क्रमशः दिनांक 20.4.2011 और 16.6.2011 के राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के निर्यात आयुक्तों को संबोधित अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 27/01/2011-इंफ्रा-II।

8. प्रौद्योगिकीय आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट, निधियां प्रदान करना, भौतिक सत्यापन, वित्तपोषण की मात्रा

उपर्युक्त मुद्दों के संबंध में कार्यान्वित मानक प्रचालन क्रियाविधि (एसओपी) (अनुलग्नक-ई) का पालन किया जाएगा।

ईडीएफ सावधि ऋण संपर्क सहित मुख्यतः एक उद्यमशीलता सहायता योजना है और ईडीएफ के अधीन व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के लिए 30% की ऊपरी सीमा है। राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं के लिए एक विशेष मामले के रूप में 50% तक की सहायता प्रदान की जाती है।

एपीडा द्वारा परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन करने के लिए रखी जा रही 2% प्रासेसिंग फी के माध्यम से एपीडा चार्टर्ड इंजीनियरों की सेवाएं भाड़े पर ले सकता है।

9. मानीटरन एजेंसियों और एपीडा को देय फीस

प्रोसेसिंग फीस के रूप में एपीडा को देय राशि सहित ईडीएफ घटक की 5% की सीमा होगी। इस 5% में से मार्गनिर्देशों के पैरा 6.1 में दिए अनुसार 3% संबंधित मानीटरन एजेंसी को प्रोद्भूत होगा। एपीडा उनमें से प्रत्येक से अनुमोदित मानीटरन प्रपत्र में रिपोर्ट प्राप्त होने पर निधियां प्रदान करेगा।

10. मंजूरी की प्रविधियां

ईडीएफ राशि प्रवर्तकों को केवल उनके बैंक खातों के माध्यम से जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों में होने चाहिए प्रदान की जाएगी।

निधियां प्रदान करते समय एपीडा संबंधित राज्य सरकार के निर्यात आयुक्त (ईएक्ससी) द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) की मांग करेगा।

11. झूठे/धोखाधड़ी दस्तावेज/जानकारी आदि की प्रस्तुति

प्रवर्तकों/उद्यमकर्ताओं/सोसायटी आदि द्वारा धोखाधड़ीपूर्ण बैंक सावधि ऋण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें काली सूची में रख दिया जाएगा और साथ ही जिन बैंक अधिकारियों के संबंध में ऐसा पाया जाएगा कि वे अनधिकृत रूप से इस तरह के ऋण मंजूरी पत्र जारी करने में लिप्त हैं, उनके विरुद्ध आपराधिक मामला शुरू किया जाएगा। इसके अलावा इस तरह के बैंक के साथ लेनदेन समाप्त कर दिया जाएगा। यदि ऐसा पता चलता है कि प्रवर्तक/उद्यमकर्ता (उद्यमकर्ताओं) ने प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में झूठी जानकारी प्रदान की है तो ऐसी परियोजना पर ईडीएफ सहायता प्रदान करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी मामले में मंजूरी/स्वीकृति पहले ही प्रदान की जा चुकी है तथा इस तरह का मामला बाद में पकड़ में आता है तो उस स्थिति में मंजूरी/स्वीकृति रद्द कर दी जाएगी।

अनुलग्नक-ए

परियोजनाओं के मानीटरन के लिए प्रपत्र

1.1 परियोजना का नाम	
1.2 परियोजना का स्थान	
1.3 उद्यमकर्ताः नाम और पता	
1.4 संपर्क ब्यौरे	टेलीफोन फैक्स मोबाइल ई-मेल
2.1 मानीटरन एजेंसी के ब्यौरे	
2.2 मानीटरन दौरे की तारीख	
2.3 ऐसा मानीटरन अधिकारी जिसने कार्यस्थल का दौरा किया	
2.4 कार्य शुरू किए जाने की तारीख	
2.5 अनुमानित परियोजना पूर्तिः तथा तारीख	
3.1 कुल परियोजना लागत	रुपए लाख
3.2 ईसी की मंजूरी की तारीख	
3.3 ईसी द्वारा स्वीकृत राशि	रुपए लाख
3.4 वित्तपोषण के स्रोत	(i) सावधि ऋणः रुपए लाख (ii) प्रवर्तक का अंशदानः रुपए लाख
3.5 सावधि ऋण प्रदान किए जाने की तारीख	
3.6 प्रदान किए गए सावधि ऋण की राशि	
4.1 निर्माणाधीन कार्य की वास्तविक स्थिति के ब्यौरे	(i) सिविल निर्माण कार्य (ii) संयंत्र और मशीनरी (iii) कार्यकारी पूंजी (iv) अन्य (खुलासा करें)
4.2 अनुमानित कार्यान्वयन के संदर्भ में वास्तविक परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति	(i) विवरण (ii) अनुमानित (iii) वास्तविक
4.3 कार्यान्वयन में उद्यमकर्ता को पेश आ रही कोई कठिनाइयां	

4.4 प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई	
5. परियोजना कार्यान्वयन का समग्र मूल्यांकन	

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

मोहर (सील).....

अनुलग्नक-बी

संशोधित स्क्रीनिंग प्रपत्र

1. परियोजना का उद्देश्य तथा स्थान

1.1 परियोजना अवधिः परियोजना की शुरूआत और पूर्ति की तारीख
उत्पादों का विपणन शुरू करने की तारीख

1.2 उत्पाद/उत्पादन विवरण

2. इन्पुट

2.1 भूमि की जरूरत

भूमि का क्षेत्रफल (एक्ड़ में)	सर्वेक्षण संख्या/संपत्ति का विवरण	स्वामित्व

2.2 अन्य इन्पुट

क्रम संख्या	मद	विवरण	स्थानीय स्रोत	राज्य के बाहर के स्रोत
2.2.1	कच्चा माल (मूल्य लाख रुपयों/प्रतिवर्ष में)			
2.2.2	मशीनरी तथा उपकरण (मूल्य लाख रुपयों/प्रतिवर्ष में)			
2.2.3	कुशल/तकनीकी जनशक्ति की जरूरत (व्यक्तियों की संख्या में)			

3. उत्पादन (उत्पाद तथा इसका विपणन)

3.1 उत्पादन विवरण

3.2 लक्षित बाजार

3.3 प्रस्तावित निर्यात संपर्क

4. वित्तपोषण

4.1 कुल परियोजना लागत

4.2 वित्तपोषण स्रोत

(रुपए लाखों में)

क्रम संख्या	वित्तीय संस्थान	राशि	प्रतिशत	अभ्युक्तियां
1.	बैंकिग/वित्तीय संस्थान			
2.	राज्य सरकार/पीएसयू*			
3.	केन्द्रीय सरकार/पीएसयू*			
4.	स्व-वित्तपोषण			
	योग			
5.	ईडीएफ के अधीन प्रस्तावित वित्तपोषण			
	सकल योग			

* एफआई/पीएसयू के मामले में अभ्युक्ति के कालम में एजेंसी का नाम और पता निर्दिष्ट करें।

5. व्यवहार्यता अंतराल की गणना (सभी राशियां लाख रुपए में)

5.1 परियोजना लागत (डीपीआर के अनुसार)

5.1.1 कुल लागतः

5.1.2 5.1.1 में से नियत पूंजीगत लागत

5.1.3 प्रार्थित आर्थिक सहायताः

5.1.4 निवल ऋण/स्व-वित्तपोषण (कुल राशि - (5.1.1 - 5.1.3) - रुपए लाख)

ऋण घटक

स्व-वित्तपोषित घटक.....

योग.....

5.2 प्रत्याशित लाभ (डीपीआर के अनुमान)

5.2.1 वार्षिक सकल आय

5.2.2 वार्षिक निवल आय

5.3 पूंजीकरण (लाभ पर आधारित)

5.3.1 व्यवहार्यता गणन के लिए छूट दर

5.3.2 पूंजी का मौजूदा मूल्य (लाभ पर आधारित) [(5.2.2/5.3.1)*100]

5.4 व्यवहार्यता अंतराल

5.4.1 व्यवहार्यता अंतराल (5.1.4-5.3.2)

5.4.2 प्रतिशत में (5.4.1/5.1.1)

व्यवहार्यता अंतराल की गणना का एक उदाहरण

5.1 परियोजना लागत (डीपीआर के अनुसार)

5.1.1	कुल लागतः	रुपए 10 लाख
5.1.2	5.1.1 में से नियत पूंजीगत लागत	रुपए 5 लाख
5.1.3	प्रार्थित आर्थिक सहायताः	रुपए 3 लाख
5.1.4	निवल ऋण/स्व-वित्तपोषण (5.1.1-5.1.3)	रुपए 7 लाख
5.2	प्रत्याशित लाभ	
5.2.1	वार्षिक सकल आय	रुपए 2 लाख
5.2.2	वार्षिक निवल आय	रुपए 1 लाख
5.3	पूंजीकरण (लाभ पर आधारित)	
5.3.1	व्यवहार्यता गणन के लिए छूट दर	20%

5.3.2 पूंजी का मौजूदा मूल्य (लाभ पर आधारित) [(5.2.2/5.3.1)*100] = $\frac{1.00 \text{x } 100}{20}$ = रुपए 5 लाख

5.4.1	व्यवहार्यता अंतराल (5.1.4-5.3.2)	रुपए 7.00.-5.00 = रुपए 2 लाख
5.4.2	प्रतिशत में (5.4.1/5.1.1)	रुपए 2 लाख/10 लाख = 20%

अनुलग्नक-सी

मानक प्रचालन क्रियाविधि

एसओपी चार्ट

क्रम संख्या	विवरण	परियोजना वित्तपोषी स्रोत		
		वित्तीय संस्थान (एफआई)	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार आर्थिक सहायता (ईडीएफ से ऊपर)	स्व-वित्तपोषित
1.	प्रौद्योगिकीय आर्थिक व्यवहार्यता	संबंधित एफआई द्वारा	राज्य सरकार/एजेंसी तथा एपीडा	एपीडा द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से मूल्यांकन किया जाना है
2.	ईडीएफ के अधीन निधियां/आर्थिक सहायता प्रदान करना	एफआई की अनुसूची के अनुसार	कोई "सहवर्ती" सहित बैक-एंडेड की जरूरत नहीं	निर्यात आयुक्त, राज्य सरकार के माध्यम से बैक एंडेड
3.	ईडीएफ वित्तपोषण मात्रा	ईडीएफ से सभी स्रोतों तथा ईडीएफ मिलाकर 70 प्रतिशत की आर्थिक सहायता की ऊपरी सीमा के अध्यधीन ईडीएफ से अधिक से अधिक 30 प्रतिशत	ईडीएफ से सभी स्रोतों तथा ईडीएफ मिलाकर 70 प्रतिशत की आर्थिक सहायता की ऊपरी सीमा के अध्यधीन ईडीएफ से अधिक से अधिक 30* प्रतिशत	ईडीएफ से अधिक से अधिक 30 प्रतिशत
4.	भौतिक सत्यापन	प्रवर्तकों द्वारा ऋण लौटाए जाने तक एफआई (एपीडा को नियतकालिक रिपोर्टें)	परियोजना के शुरू होने के बाद दो वर्षों तक राज्य सरकार	परियोजना के शुरू होने के बाद दो वर्षों तक एपीडा/डीजीएफटी/वाणिज्य विभाग

*यदि परियोजना का कार्यान्वयन केन्द्रीय/राज्य पीएसयू द्वारा किया जा रहा है ईडीएफ आर्थिक सहायता की ऊपरी सीमा 50 प्रतिशत तक हो सकती है।

अनुलग्नक-III

जीएआर 34

[देखें नियम 147, 150 तथा 159(1)]

सहायता-अनुदान बिल

बिल नंबर

लेखा शीर्ष

वाणिज्य विभाग द्वारा दिनांक.....के पत्र संख्या.....(प्रति संलग्न) के माध्यम से.....की अवधि के लिए मंजूर किए गए सहायता अनुदान के रूप में रु.....(रुपए.....) की राशि प्राप्त हुई।

हस्ताक्षर

पदनाम

तारीख.....

रु.....के लिए

प्रतिहस्ताक्षरित

तारीख.....

हस्ताक्षर

आहरण अधिकारी का पदनाम

वेतन तथा लेखा कार्यालय में प्रयोग के लिए

रु.....(रु.....) के लिए पारित

.....द्वारा भुगतान किया गया

चेक नंबर.....

तारीख.....

वेतन तथा लेखा अधिकारी

(लेटर हैड)

जो भी इससे संबंधित हो

यह प्रमाणित किया जाता है कि (नोडल एजेंसी का नाम) किसी भी भ्रष्ट क्रियाकलाप में लिप्त नहीं है।

हस्ताक्षर

(नोडल एजेंसी के प्रधान)

अनुलग्नक-IV

क्रम संख्या	विकास आयुक्त	राज्य/संघशासित क्षेत्र
1.	विकास आयुक्त, कोचीन	केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, माहे
2.	विकास आयुक्त, फाल्टा	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम
3.	विकास आयुक्त, नोएडा	दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चण्डीगढ़
4.	विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम	आंधं प्रदेश, यनम
5.	विकास आयुक्त, कांडला	गुजरात
6.	विकास आयुक्त, चेन्नई	तमिलनाडु, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, पाण्डिचेरी
7.	विकास आयुक्त, एसईईपीजेड	महाराष्ट्र, गोवा, दमन तथा दीव, दादरा तथा नगर हवेली

अनुलग्नक-V

एसाइड के अधीन हाथ में ली जाने वाली परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता

(क) एसाइड के अधीन निधियों का लाभ उठाने के वास्ते इन निधियों का प्रयोग आधारतंत्रीय परियोजनाओं के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण में सहभागिता के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार परियोजना विकास एजेंसी के रूप में आईडीएफसी अथवा आईएलएफएस अथवा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य एजेंसी का चुनाव कर सकती है।

(ख) चयनित एजेंसी राज्य सरकार की नोडल एजेंसी/कार्यान्वयन एजेंसी के साथ मिलकर काम करेगी और निजी क्षेत्र की सहभागिता आमंत्रित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करेगी।

(ग) एसाइड के अधीन निधियों का प्रयोग परियोजना निर्माण पर होने वाले खर्च के लिए भी किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा खर्च परियोजना की अंतिम लागत में भारित होता है इसलिए इस राशि को परियोजना के लिए अग्रिम के रूप में समझा जाएगा और किए जाने वाले अंतिम भुगतान में समायोजित किया जाएगा। यदि चयन प्रक्रिया के अंत में ऐसा पता चलता है कि परियोजना के लिए किसी प्रकार की सहायता की जरूरत नहीं है तो परियोजना निर्माण पर खर्च की गई राशि परियोजना के लिए सहायता के रूप में समझी जाएगी।

(घ) निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए परियोजनाएं, पूंजीगत अनुदान की फ्रंटलोडिंग के रूप में, अथवा वार्षिकी भुगतान प्रदान करके अथवा ऐसे किसी अन्य तरीके से जिसके लिए राज्य सरकार सहमत हो हाथ में ली जा सकती है। तथापि एसाइड के अधीन प्रतिबद्धता केवल 12वीं योजना के अधीन संभावित आबंटन को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

(ड.) परियोजना प्रचालक कोई निजी एजेंसी अथवा सरकारी क्षेत्र की एजेंसी अथवा सरकार के विभाग हो सकते हैं लेकिन इस तरह की एजेंसी का चयन प्रतियोगात्मक बोली की पारदर्शी प्रणाली द्वारा किया जाना चाहिए।

(च) संप्रति परियोजनाओं को एसाइड से 100% सहायता प्रदान की जाती है और इसके अलावा परियोजना के प्रचालन और अनुरक्षण की जिम्मेदारी भी सरकार द्वारा वहन की जाती है। यदि पूंजीगत कार्यों के लिए निर्माण, प्रचालन और प्रबंधन के वास्ते संगठनों का चयन यहां तक कि 100% सहायता सहित किया जाता है तो भी इसका अर्थ प्रयोक्ता प्रभारों के माध्यम से प्रचालन और अनुरक्षण का निजीकरण करना होगा। इस तरह की परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली सहायता पर पूंजीगत लागत के प्रतिशत के रूप में कोई सीमा निर्धारित न करना तत्काल उपयुक्त हो सकता है। तथापि, राज्यों में इस तरह की परियोजनाओं का कुछ अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद एक वर्ष के पश्चात इसकी समीक्षा की जा सकती है।

(छ) राज्यों को तात्कालिक आधार पर निजी क्षेत्र की सहभागिता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रयोजन से यह निर्णय लिया गया है कि इन परियोजनाओं के लिए ऐसे खर्च (परियोजना निर्माण व्यय के बाद के खर्च) के लिए अगले वर्ष अतिरिक्त आबंटन के रूप में प्रावधान किया जाएगा। तथापि, ऐसा आबंटन एसाइड के अधीन राज्य के लिए कुल आबंटन के अधिक से अधिक 10 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा।

(ज) वर्ष 2003-04 से राज्यों के लिए यह जरूरी होगा कि वे ऐसी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने पर अपने आबंटन का कम से 50% हिस्सा खर्च करें। इस तरह की परियोजनाओं पर पूरे आबंटन का प्रयोग करने वाले राज्यों को, अतिरिक्त आबंटन प्रदान किया जाएगा जो राज्य के आबंटन के अधिक से अधिक 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

अनुलग्नक-VI

प्रपत्र-I

एसाइड

.....की सरकार से.....को समाप्त तिमाही की रिपोर्ट

राशि लाख रुपयों में

1.	पिछले वर्ष के अंत में शेष राशि	
2.	वर्ष के लिए आबंटन	
3.	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	
4.	उपलब्ध कुल राशि	
5.	वर्ष में तिमाही तक खर्च की गई राशि	
6.	योजनाओं के लिए राज्य/यूटी बजट में से पूरक निधियों के लिए आबंटन	

प्रपत्र-II

एसाइड

.....की सरकार से.....को समाप्त तिमाही की रिपोर्ट

क्रम संख्या	**परियोजना का नाम**	**मंजूरी का वर्ष**	**निजी क्षेत्र के जरिए (हां/नहीं)**	**एसाइड एसजी निजी क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए स्वीकृत लागत (लाखों में)**	**पिछले वित्तीय वर्ष तक खर्च की गई राशि**	**चालू वित्तीय वर्ष में तिमाही तक खर्च की गई राशि**

अनुलग्नक-VII

फार्म

फार्म जीएफआर-19ए

[देखें नियम 150 के अधीन भारत सरकार का निर्णय (1)]

उपयोगिता प्रमाण-पत्र का फार्म

क्रम संख्या	पत्र की संख्या तथा तारीख	राशि

योग.....

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मंत्रालय/विभाग के हाशिये में दी गई पत्र संख्या के अधीन.....के पक्ष में.....वर्ष के दौरान स्वीकृत रु.....के सहायता-अनुदान तथा पिछले वर्ष की अव्ययित बकाया के रूप में रु.....की राशि सहित रु.....की राशि रु.....के प्रयोजन के लिए, जिसके वास्ते वह मंजूर की गई थी खर्च की गई है और वर्ष के अंत में अप्रयुक्त रु.....की बाकी राशि सरकार को अभ्यर्पित कर दी गई है (दिनांक.....के संख्या.....के अधीन) अगले वर्ष.....में देय सहायता-अनुदान में समायोजित कर दी जाएगी।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस संबंध में अपनी संतुष्टि कर ली है कि जिन शर्तों पर सहायता-अनुदान मंजूर किया गया था, उन शर्तों की पूर्ति की गई है/की जा रही है और मैंने इस बात की जांच करने के लिए कि राशि वस्तुतः उसी प्रयोजन के लिए खर्च की गई थी, जिसके लिए मंजूर की गई थी निम्न जांचें की हैं।

(की गई जांच की कोटियां)

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

तारीख.....

अनुलग्नक-VIII

विषय एसाइड स्कीम के अधीन स्वीकृत परियोजनाओं का मूल्यांकन

1. यह निर्णय लिया गया है कि एसाइड के अधीन परियोजनाओं का, वाणिज्य विभाग के क्षेत्रीय संघटनों द्वारा, निम्न उद्देश्यों से दौरा किया जाएः
   (क) परियोजना के कार्यान्वयन में प्रगति का मूल्यांकन करना
   (ख) निर्यात पर परियोजना के प्रभाव का आकलन करना
   (ग) स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए (जैसेकि परियोजनाओं का चयन, समीक्षा तंत्र, निधि प्रवाह तंत्र, राज्य सरकार की योजनाओं के साथ समेकन आदि) राज्य सरकार को सिफारिश करना
   (घ) इसके अधिक तेज तथा प्रभावी कार्यान्वयन की खातिर नीति में बदलावों की जरूरत वाले मुद्दे पता लगाना।
2. नामित अधिकारी ऐसी प्रत्येक परियोजना का दौरा करेगा जिस पर पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान स्कीम के अधीन निधियां प्रदान की गई हैं। दौरे की तारीख उसके द्वारा राज्य सरकार के नोडल विभाग के साथ परामर्श से तय की जाएगी। अन्य ब्यौरों सहित ऐसी परियोजनाओं की सूची वाणिज्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक परियोजना से संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट परिशिष्ट-I पर दिए गए प्रपत्र में तैयार की जाएगी।
3. राज्य की सभी परियोजनाओं के निरीक्षण के बाद, राज्य के लिए एक समेकित रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट में निम्न शामिल होंगेः
   (क) उपर्युक्त (क) से (घ) तक निर्दिष्ट बिंदुओं के बारे में स्थूल अभिमत तथा राज्य में स्कीम के कार्यान्वयन का एक समग्र आकलन देना।
   (ख) स्कीम अधीन परिशिष्ट-II के अनुसार निधियों का उपयोग
   (ग) प्रत्येक परियोजना के संबंध में परिशिष्ट-I में कार्यान्वयन रिपोर्ट (रिपोर्ट के संलग्नकों के रूप में)।
4. उसकी एक प्रति ई-मेल द्वारा वाणिज्य विभाग, राज्य सरकार और राज्य की नोडल एजेंसी को भेजी जाएगी। राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद आयोजित की जाने वाली एसएलईपीसी की आगामी बैठक में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि उपयुक्त निर्णय लिए जा सके तथा संबंधित एजेंसियों को, यदि जरूरी हों तो उपयुक्त निदेशी जारी किए जा सकें।
5. अगले दौरे के समय, निरीक्षी अधिकारी द्वारा पिछले दौरे के समय व्यक्त किए गए अभिमतों के अनुपालन का आकलन भी किया जाएगा।
6. प्रत्येक राज्य के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम परिशिष्ट-III में दिए गए हैं।

अनुलग्नक-IX

'निर्यात आधारिक-तंत्र निर्मित करने तथा संबद्ध क्रियाकलापों के लिए राज्यों को सहायता की (एसाइड) स्कीम' के अधीन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए मार्गनिर्देश

एसाइड स्कीम संबंधी संसदीय लोक लेखा समिति की 23वीं रिपोर्ट (लोक सभा में 31.8.2010 को प्रस्तुत) में निहित अभिमतों के आधार पर मुझे एसाइड की मौजूदा रूपरेखा के भीतर राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के बीच बेहतर निष्पादन के लिए निम्न मार्गनिर्देश जारी करने का निदेश हुआ हैः

1. एसाइड वार्षिक आबंटन में से 10% हिस्सा प्रोत्साहन योजना के लिए अलग रख दिया जाएगा। राज्य घटक से संबद्ध निधियां पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूर्वोत्तर क्षेत्र अर्थात सिक्किम सहित 8 पूर्वोत्तर राज्य) से इतर राज्यों के लिए होंगी और केन्द्रीय घटक में से उतना ही निधियां पूर्वोत्तर राज्यों के लिए होंगी।

2.1 इस तरह के 10% पूल में से, पात्र राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों द्वारा अग्रेषित परियोजनाएं वाणिज्य विभाग द्वारा मंजूर की जाएंगी।

2.2 इस स्कीम के अधीन वित्तपोषण ब्लाक-वित्तपोषण (जैसाकि संप्रति एसाइड राज्य घटक के लिए मौजूद है) की बजाय परियोजना-विशिष्ट होगा।

3.1 राज्यों का चयन एसाइड परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निष्पादन पर आधारित होगा।

एसाइड का सफल और सामयिक कार्यान्वयन अधिकांशतः निम्न पर निर्भर करता हैः

(क) अन्य स्रोतों से निधियों का लाभ उठाना

(ख) राज्यों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा निधियों के व्यय की स्वस्थ गति तथा

(ग) स्वीकृत परियोजनाओं की सामयिक पूर्ति ताकि स्वीकृत लागत से अधिक खर्च न करना पड़े आदि।

3.2 उपर्युक्त तीन प्राचलों पर राज्यों के चयन को वाणिज्य विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

4.1 पिछले 9 वर्षों के दौरान एसाइड के कार्यान्वयन ने निम्न जरूरतों के प्रति ध्यान केन्द्रित किया हैः

(क) इन्पुटों की गुणवत्ता पर बल दिए जाने की जरूरत है तथा

(ख) एक ऐसे तंत्र का संस्थायन किया जाना जरूरी है जिसमें ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति अवश्य रोकी जानी चाहिए जहां राज्य सरकारें एसाइड मार्गनिदेशों के प्रतिकूल कार्यान्वित करती है।

जहां कहीं ऐसा विचलन देखने में आता है, संबंधित राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को प्रस्तावित प्रोत्साहन स्कीम के अधीन वित्तपोषण के लिए अपात्र मान लिया जाएगा।

4.2 जहां तक उत्तम उत्पादन सुनिश्चित करने का संबंध है, यह मूलतः संयुक्त सचिवों के अपने नोडल राज्यों के कार्यस्थल दौरों से रिपोर्टों तथा भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन के अन्य अधिकारियों के दौरों की रिपोर्टों पर आधारित होगा।

5.1 मंजूर की जाने वाली परियोजनाएं आवश्यक रूप से दृश्य और स्पष्ट होनी चाहिए और अनिवार्यतः एसाइड योजना के चालू मार्गनिर्देशों के भीतर होनी चाहिए।

5.2 असली बल बड़ी परियोजनाओं को इस प्रोत्साहन स्कीम के अधीन लाने, विदेश व्यापार संबंधी आधारिक तंत्र के निर्माण के संबंध में संबंधित राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन की सक्रिय सहभागिता से निर्यात के

मोर्च पर गोचर प्रत्यक्षता तथा स्पष्ट प्रभाव लाने पर है। यहां यह उल्लेख्य है कि पूर्ण कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए ऐसी परियोजनाएं लगभग 2 से 3 वर्ष तक का समय ले सकती हैं।

6. पूर्वोत्तर से इतर राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के लिए

6.1 सामान्यतः प्रत्येक परियोजना का आकार लगभग रु. 30 करोड़ का होना चाहिए। यह आकार एक से अधिक परियोजनाओं के लिए भी हो सकता है। परियोजना वाणिज्य विभाग तथा संबंधित राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन के बीच वित्तपोषण की बराबर की साझेदारी (1:1) से कार्यान्वित की जाएगी। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम सीमा कम से कम रु. 20 करोड़ होगी।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हुए परियोजना का आकार कम से कम रुपए 30 करोड़ होगा जिसमें से इस प्रोत्साहन स्कीम के अधीन भारत सरकार-जीओआई (वाणिज्य विभाग) द्वारा अधिक से अधिक 50% तक दिया जा सकता है।

'सरकारी निजी सहभागिता' (पीपीपी) विधि के अधीन कार्यान्वित परियोजनाओं के मामले में जहां कहीं व्यवहार्यता अंतराल मंजूर किया जाता है, केन्द्रीय (वाणिज्य विभाग) और राज्य सरकार का अंशदान भी 1:1 आधार पर होगा।

6.2 चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक पात्र राज्य को वाणिज्य विभाग द्वारा रु. 20 करोड़ की ऊपरी सीमा के भीतर निधि प्रदान की जा सकती है। इसका अर्थ है कि सरकारी अंशदान रु. 40 करोड़ होगा (राज्य सरकार के राजकोष से कम से कम रु. 20 करोड़ सहित)।

7. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए

7.1 सामान्यतः प्रत्येक परियोजना का आकार लगभग रु. 5 करोड़ का होगा। तथापि चालू वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम सीमा रु. 2 करोड़ होगी।

7.2 वाणिज्य विभाग द्वारा इस स्कीम के अधीन परियोजना लागत में से अधिक से अधिक 80% निधियां प्रदान की जा सकती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाकी 20% हिस्से का अंशदान संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अर्थात वित्तपोषण (4:1) आधार पर होगा।

चालू वित्तीय वर्ष के लिए समतुल्य अंशदान समतुल्य (9:1) आधार पर होगा। अर्थात संबंधित पूर्वोत्तर राज्य को परियोजना लागत के केवल 10% हिस्से का अंशदान करना होगा।

परिशिष्ट-I

एसाइड स्कीम के अधीन स्वीकृत परियोजना के मूल्यांकन के लिए प्रपत्र

1. राज्य/संघशासित क्षेत्र/एजेंसी का नाम
2. निरीक्षी अधिकारी का नाम
3. दौरे की तारीख
4. परियोजना का नाम
5. परियोजना के प्रमुख घटक
6. वास्तविक प्रगति
   - (क) परियोजना शुरू होने की तारीख
   - (ख) पूर्ति की अनुसूचित अवधि
   - (ग) मौजूदा स्थिति
   - (घ) पूर्ति का महीना/वर्ष
7. वित्तीय ब्यौरे
   - (क) परियोजना की लागत
     - कुल लागत
     - वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान की गई कुल निधियां
     - वित्तीय वर्ष तक प्रदान की गई निधियां
     - वित्तीय वर्ष तक प्रयोग में लाई गई निधियां
   - (ख) राज्य का हिस्सा
     - कुल राशि
     - वित्तीय वर्ष तक अभी तक प्रदान की गई निधियां
     - वित्तीय वर्ष तक प्रयोग में लाई गई निधियां
   - (ग) एसाइड के अधीन हिस्सा
     - कुल
     - वित्तीय वर्ष तक प्रदान की गई निधियां
     - वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान की गई निधियां
     - वित्तीय वर्ष तक किया गया खर्च
     - वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च
   - (घ) निजी क्षेत्र का हिस्सा
     - कुल
   - (ड.) वित्तीय वर्ष तक खर्च किया गया अन्य एजेंसी का हिस्सा
     - कुल

- वित्तीय वर्ष तक किया गया खर्च

8. परियोजना की वास्तविक प्रगति पर टिप्पणियां

   (इसमें ये शामिल होने चाहिएः समय-सूची के अनुसार कार्यान्वयन, परियोजना के कार्यान्वयन में अंतः एजेंसी/विभाग समन्वय, दृश्य निरीक्षण के अनुसार कार्य का स्तर तथा ऐसे कोई अन्य अभिकलन जोकि वास्तविक प्रगति के लिए प्रासंगिक हों। इसके कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट सुझाव दिए जाएं)।

9. निर्यात पर प्रभाव (पूरी की गई परियोजना के लिए)

   (आकलन में इस आशय का उल्लेख होना चाहिए कि क्षेत्र से निर्यात के प्रोत्साहन में आधारिक-तंत्र के से संभावित प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष लाभ कौनसे होंगे। किन्हीं परिमाणनीय परिणामों का विशिष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

10. नीतिगत मुद्दे

    (कोई भी ऐसा मुद्दा जो परियोजना के कार्यान्वयन अथवा प्रभाव को मार्गनिर्देशों में कतिपय प्रावधानों के कारण प्रभावित कर रहा है उसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए)।

परिशिष्ट-II

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	वह राशि जो राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान प्रयोग में लाई गई बताई गई	वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजना के लिए प्रदत्त वास्तविक राशि	परियोजना द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान प्रयुक्त वास्तविक राशि

परिशिष्ट-III

प्रत्येक राज्य के लिए जिम्मेदार अधिकारी

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	टेलीफोन (कार्यालय)	फैक्स नंबर	ई-मेल	राज्य
1.	विकास आयुक्त, कोचीन, एसईजेड, कक्कानंद, कोचीन (केरल)	0484-42545	0484-422530	e-mail@cscz.com	केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप
2.	विकास आयुक्त, फाल्टा, एसईजेड, 11 एमएसओ बिल्डिंग, चौथा तल, निजाम पैलेस, कोलकाता	033-2472263	033-2477923	fepz@wb.nic.in	पश्चिम बंगाल, सिक्किम
3.	विकास आयुक्त, नोएडा, एसईजेड, दादरी रोड, नोएडा	95-120-4562315	95-120-4562315	dcnepz@nda.vsnl.net.in	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली
4.	विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम, एसईजेड, प्रशासनिक बिल्डिंग, दुवाडा, विजाग	0891-754577	0891-751259	dc@vepz.com	आंध्र प्रदेश
5.	विकास आयुक्त, कांदला, एसईजेड, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात	02836-53300	02836-52250	kafta@wilnetonline.net	गुजरात
6.	विकास आयुक्त, मद्रास, एसईजेड, जीएसटी रोड, तंबाराम, चेन्नई	044-262820	044-2628218	mepz@vsnl.com	तमिलनाडु, अंडमान तथा निकोबार पाण्डिचेरी
7.	विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड, अंधेरी (पूर्वी), मुंबई	022-8290856	022-8291385	dcseepz@vsnl.com	महाराष्ट्र
8.	संयुक्त डीजीएफटी 4, एस्प्लानेड ईस्ट, कोलकाता	033-2486426	033-2485892	Jdgft@jdgft.wb.nic.in	उड़ीसा, बिहार, झारखंड
9.	विकास डीजीएफटी, उद्योग भवन, तीसरा तल, तिलक मार्ग, जयपुर	0141-722276	0141-380601	Jdgft@raj.nic.in	राजस्थान
10.	विकास डीजीएफटी, तीसरा तल, 52ए, एरेना हिल्स, (सरकारी प्रेस के पीछे) भोपाल	0755-553303	0755-553303	Dgftbpl@mp.nic.in	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
11.	विकास डीजीएफटी, आरबी बरूवा रोड,	0361-562583		Dgftnet@asm.nic.in	असम, अरूणाचल प्रदेश तथा नागालैंड

	गौहाटी, गुवाहाटी				तथा नागालैंड
12.	विकास डीजीएफटी, एससीओ-288, सेक्टर-35डी, चंडीगढ़	0172-602314	0172-602314	dgft@chd.nic.in	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़
13.	विकास डीजीएफटी, आशीर्वाद बिल्डिंग, 18वीं जून रोड, सांता इनोज पाणिजिम, गोवा	0832-224968	0832-224968		गोवा
14.	विकास डीजीएफटी, 24-सी/सी, गांधीनगर, जम्मू	0191-435834	0191-435834		जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश
15.	विकास डीजीएफटी, मोरोलो बिल्डिंग, शिलांग	0361-223360	0361-223360	Dgftshil@maghalaya.ren.nic.in	मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा मणिपुर
16.	विकास डीजीएफटी, 901-902, ई-ब्लाक, नौवां तल, कुबेर भवन, कोठी चार रास्ता, वड़ोदरा	0265-429368	0265-428789		दमन तथा दीव और दादरा तथा नागर हवेली

परिशिष्ट-IV

क्रम संख्या	राज्य/यूटी का नाम
ए.	**छोटे राज्य**
1	अंडमान तथा निकोबार
2	गोवा
3	दिल्ली
4	पाण्डिचेरी
5	दादरा तथा नागर हवेली
6	चण्डीगढ़
7	दमन तथा दीव
8	लक्षद्वीप
बी	**मझोले राज्य**
9	झारखंड
10	हिमाचल प्रदेश
11	उत्तरांचल
12	पंजाब
13	हरियाणा
14	केरल
सी	**बड़े राज्य**
15	बिहार
16	पश्चिम बंगाल
17	राजस्थान
18	मध्य प्रदेश
19	महाराष्ट्र
20	आंध्र प्रदेश
21	उत्तर प्रदेश
22	जम्मू तथा कश्मीर
23	गुजरात
24	कर्नाटक
25	उड़ीसा
26	छत्तीसगढ़
27	तमिलनाडु

डी	पूर्वोत्तर राज्य
28	अरूणाचल प्रदेश
29	असम
30	मणिपुर
31	मेघालय
32	मिजोरम
33	नागालैंड
34	सिक्किम
35	त्रिपुरा